generally released through distributors operating above ceiling limit except in the following conditions:—

(1) Release of connections in hilly areas.

(2) Release of connections in Taj Trapezium area.

(3) Release of connections under Tatkal Scheme.

(4) In few cases under special circumstances at the discretion of Government.

No separate record for applications received in this regard is maintained.

Assam Gas Cracker Project

163. DR. Y. LAKSHMI PRASAD:
DR. MOHAN BABU:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the site chosen for the Assam Gas Cracker Project and action taken so far to acquire and develop the area of the project after assessing environmental impact; and

(b) the assistance proposed for the project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) 347 acres of land at Tengakhat, Dibrugarh have been handed over to the project. A further 903 acres is being acquired. Environmental impact study will be initiated after completing land acquisition formalities.

(b) A capital subsidy of Rs. 377 crores has been sanctioned for the project. A concessional gas price of Rs. 600 thousand cu.mtrs. has been fixed for a period of fifteen years.

"ट्राइसेम" की समीक्षा

164. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान गुजरात में "ट्राइसेम" कार्यक्रम की क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ख) क्या इस कार्यक्रम की कोई समीक्षा की गई है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य के प्रत्येक जिले में उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति दी गई है; और

(घ) इस कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) राज्य सरकार से उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात में मई, 1996 तक आठवीं योजना के दौरान 47272 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। जिसमें से 26755 अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्ति तथा 20361 महिलाएं हैं। प्रशिक्षित युवाओं में से 15380 युवाओं का अपना रोजगार है तथा 5468 युवाओं को मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ है।

(ख) जी हां।

(ग) कृपया संलग्न विवरण देखें। **(नीचे देखिए)**

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ट्राइसेम कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:-

(1) प्रशिक्षण को अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनाने के उद्देश्य से 1 जून, 1994 से आवर्ती खर्च के अन्तर्गत छात्रवृत्ति दरों, मानदेय और अन्य भत्तों, आदि में काफी वृद्धि की गई थी।

(2) राज्यों/संघ शक्ति क्षेत्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, सामुदायिक पोलिटेक्निकों, कृषि विज्ञान केन्द्रों आदि जैसे सुस्थापित और मान्यता प्राप्त संस्थाओं की मार्फत प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

(3) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से विशेष रूप से ट्राइसेम के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अन्तर्गत एक उप-समिति गठित करने के लिए कहा गया था। ट्राइसेम के लिए एक जिला स्तरीय समिति पहले से ही विद्यमान है।

(4) ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षण ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक खण्ड में लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना के संबंध में एक नई योजना 1995-96 के दौरान शुरू की गई थी ताकि विभिन्न परम्परागत व्यवसायों में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सके।

(5) इलेक्ट्रोनिक्स, हीरे और पत्थर की कटाई/पॉलिश जैसे आधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षित युवाओं, रेशम कीट पालन, मशरूम खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है जबकि सिलाई, आदि जैसे पुराने व्यवसायों को हतोत्साहित किया जा रहा है।